

कार्यालय, नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छ.ग.)

//निविदा सूचना//

कमांक/304/निविदा/लोक/2017-18,

राजनांदगांव दिनांक 06/11/2017

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा निम्न कार्य हेतु छ.ग. शासन के आदेश के तहत कर्तव्यकृत पंजीयन सं.सएम श्रेणी (द एवं अपर श्रेणी) में पूर्णकाल ठेकेदारों से एस.ओ. आर./आयटम दर के आधार पर काम "ए" में मुरबद निविदाओं दो लिकोका से पूर्णकाल लोक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा अद्योहस्तारकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाइट से सीधे निविदा प्रपत्र डाकनलड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की आतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेंगे।

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27/11/2017 शाम 5.00 बजे तक
2. प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि 29/11/2017 शाम 5.00 बजे तक

कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क्र. कार्य का नाम	लगत राशि	अमानती	निविदा	निविदा	समयावधि
1	3	4	5	6	7
1	वार्ड कमांक 28 माता	परा में सांठजनिक	शौचालय निर्माण	कार्य	01 माह
2	वार्ड कमांक 40 बटुई	परा में सांठजनिक	शौचालय निर्माण	कार्य	01 माह
3	वार्ड कमांक 42 मंशाम	माली में सांठजनिक	शौचालय निर्माण	कार्य	01 माह
4	वार्ड कमांक 43	दिवानगर में	सांठजनिक शौचालय	निर्माण कार्य	01 माह
5	वार्ड कमांक 47	माहारा में सांठजनिक	शौचालय निर्माण	कार्य	01 माह
6	वार्ड कमांक 48	सीनकर परा में	सांठजनिक शौचालय	निर्माण कार्य	01 माह

06



भारत पालिक निगम राजनांदगांव

आयुक्त
06/11/18

1. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
2. अमानत राशि का एक.जी.आर निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
3. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र भरने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। काट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा करना उचित ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
4. दरे अंकों एवं शर्तों में स्पष्ट अंकित करना होगा। काट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किया जायेगा।
5. नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देवी/प्राप्त की जा सकती है।
6. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1.00 प्रतिशत राशि की कटौति निर्माण कार्य के प्रस्तुत होने वाले दायकों से की जावेगी।
8. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश क्रमांक एक 5-190/18/05 रायपुर दिनांक 19.01.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सकल निविदा राशि का 10 प्रतिशत दर एवं अनुमानित लागत से 90 प्रतिशत के अंतर की राशि समस्त परफार्मेंस गारंटी के रूप में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. सकल निविदाकार को निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तावित स्थल का फोटो प्राप्त, निर्माण कार्य प्रारंभ करने के बाद चल देयक प्रस्तुत करते समय एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य की स्थिति संबंधी फोटो प्राप्त प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें बाह्य कमांक एवं कार्य का नाम अंकित हो।
10. आहूत की गई निविदा लिखित को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते हैं, तो निविदा कार्यवाही आरंभ कार्य दिवस में संपन्न किया जायेगा। इसके लिये पेशक से सूचना जारी नहीं किये जायेगा।
11. छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 243/वि.नि./घार/2003 तथा रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।
12. सकल निविदाकार को श्रम नियम/अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
13. सकल निविदाकार के तीन दिनों के भीतर अर्जबंद करना अनिवार्य होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

शर्त:-

7	बार्ड क्रमांक 49 जगदश्वर के पास सांठजनिक शाखा रिजिस्ट्रेशन कार्य	1.57	2000.00	₹	300.00	01 माह
8	बार्ड क्रमांक 50 मोहड़ रौड में सांठजनिक शाखा रिजिस्ट्रेशन कार्य	1.57	2000.00	₹	300.00	01 माह



नगर पालिक निगम राजनांदगांव

अनुवर्त
66/11/17

7. कायलय
- एवं शासन के वेबसाईट में अपलोड किये जाते ।
6. प्रभाषी अधिकारी डाटा सेंटर नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनाएं एवं विभागीय
5. राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनाएं ।
4. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनाएं ।
3. प्र. सदस्य लोककर्म, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सूचनाएं ।
2. माननीय अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सादर सूचनाएं ।
1. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सादर सूचनाएं ।

प्रतिनिधि:-

पृ.क.1805/लोक-11/2017-18

राजनांदगांव दिनांक 06/11/2017

3